

**कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।**

संख्या:एमई-3/पी0जी0-2020/2001

लखनऊ:दिनांक: 17 अक्टूबर, 2020

**आवश्यक सूचना**

यू0पी0 नीट पी0जी-2020 के अन्तर्गत नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 17.03.2020 एवं दिनांक 04.05.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निजी क्षेत्र के 19 मेडिकल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा जिस बैंक खाते से धनराशि जमा की गयी है उसी बैंक खाते में सिक्योरिटी धनराशि **रु0 2.00 लाख** स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव की सिक्योरिटी धनराशि विलम्बतम् **02 सप्ताह** में खाते में स्थानान्तरित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त मॉप-अप राउण्ड से प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों, जिन्होंने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सिक्योरिटी धनराशि जमा की गयी है, से अपेक्षा है कि ऐसे अभ्यर्थी अपने बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार प्रवेशित कालेज के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

Name of Account Holder	Name of Bank & Branch	Bank of Account Number	IFSC Code

  
महानिदेशक।